11 9/23

पत्रावली पेश हुई ~~वकील~~ अनुसार प्रतीक्षा शामिल।
वकील वादी ने प्रतिवादीगणों की तामील वास्ते
रजि० A/d से पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर
दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी ने
आदिनांक तक प्रतिवादीगणों की तामील वास्ते
रजि० A/d से नहीं कराई है। उक्त प्रकरण
को चलते हुए 6 वर्ष से अधिक का समय
हो चुका है अतः सिविल प्रक्रिया संहिता
के आदेश 9 नियम 5 के तहत वाद
को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।